

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या 12/12/2023

रजि0 नं0 2023/264

प्रवेश तिथि 13.03.2023

अपीलार्थी:-

प्रत्यर्थी:-

श्री अमर चन्द मीना
जे-77 तीसरा तल पर्यावरण काम्पलेक्स
ईगनू रोड नेब सरास के पास नई दिल्ली-
110068

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड
अधिकारी लक्ष्मणगढ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

---:: निर्णय ::- 25.05.2023



1-अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ को आवेदन पत्र दिनांक 12.03.2023 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः अपेक्षित सूचना उन्हें दिलवाई जावे।

2-अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है, कि राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।

3-अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ से जरिये नोटिस क्रमांक 121 दिनांक 13.03.2023 से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी कर यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 22.03.2023 को उपस्थित आवें।

4-अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ से अपील का बिन्दुवार जवाब प्राप्त नहीं होने पर पुनः स्मरण पत्र क्रमांक 139 दिनांक 22.03.2023 व 169 दिनांक 17.04.2023 जारी किया गया। किन्तु अपेक्षित पालना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुयी। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के द्वारा अपेक्षित कार्यवाही कर पालना नहीं की गयी है। जिसके फलस्वरूप अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

5-राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ द्वारा अपेक्षित कार्यवाही कर पालना नहीं की गयी है। अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। यदि सूचना देयता की श्रेणी में आती है, तो अपेक्षित सूचनाएं 15 दिवस में अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करायी जावे। निर्णय की प्रमाणित-प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 25.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(उत्तम सिंह शेखावत)

अतिरिक्त जिला कलक्टर, (प्रथम)
अलवर, (राज0)